बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक–................................/पटना,   दिनांक–...............

सं0सं0– 4तक0/सीपेट की योजना/09/2018

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट), औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर द्वारा 04 (चार) माह का अंशकालीन प्रशिक्षण हेतु रु0 99,79,200.00 (निनान्वे लाख उन्नासी हजार दो सौ रुपये) मात्र सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–1425, दिनांक 06.10.2017 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट), औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर द्वारा 04 (चार) माह का अंशकालीन प्रशिक्षण हेतु रु0 99,79,200.00 (निनान्वे लाख उन्नासी हजार दो सौ रुपये) मात्र सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में सीपेट, हाजीपुर में 04 माह का अंशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत आयोजित किया जाएगा :–

क्रम सं0	कार्यक्रम	अवधि (माह में)	प्रस्तावित प्रशिक्षणार्थी की संख्या	निर्धारित योग्यता	उम्र सीमा	कार्यक्रम लागत
1	Machine Operator Assistant - Plastics Processing	04	80	10^{th} उत्तीर्ण एवं उच्चतर	18–28 वर्ष	35,48,160.00
2	Machine Operator Assistant - Injection Moulding	04	80	10^{th} उत्तीर्ण एवं उच्चतर	18–28 वर्ष	35,48,160.00
3	Machine Operator Assistant - Blow Moulding	04	65	10^{th} उत्तीर्ण एवं उच्चतर	18–28 वर्ष	28,82,880.00
		कुल:–	**225**			**99,79,200.00**

प्रशिक्षण के लिए अभ्यार्थियों का चयन पूर्व में दिये गये दिशानिर्देश के आलोक में की जाएगी।

3. इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 100.00 लाख (सौ लाख) का उपबंध प्राप्त है जिसके विरूद्ध रु0 99,79,200.00 (निनान्वे लाख उन्नासी हजार दो सौ रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रस्तावित है।

4. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष– 102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0150–सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना, विपत्र कोड– 23–2852801020150, विषय शीर्ष–0150.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित राशि से की जायेगी जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध प्राप्त है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त करेगें तथा निकासी की गई राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक एवं प्रमुख, सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, औ0 क्षेत्र, हाजीपुर को उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक–8244, दिनांक 02.08.10 एवं 500 दिनांक 18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

7. इस योजना के नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे एवं उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8. स्वीकृत राशि की निकासी BTC form-42 से की जायेगी।

9. सीपेट, हाजीपुर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण कार्य के लिए सीपेट के नजदीकी केन्द्र, हल्दिया/लखनऊ द्वारा कराया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि विभागीय योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

11. इस योजना के लेखा–जोखा का पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

12. इस राज्यादेश में संचिका संख्या–4तक0/सीपेट की योजना/09/2018 के पृ0–14/टि0 पर दिनांक 05.10.18 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. राशि. की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनश्चित किया जाएगा।

14. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......................../पटना, दिनांक–................
संoसंo– 4तकo/सीपेट की योजना/09/2018
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हo/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......................../पटना, दिनांक–................
संoसंo– 4तकo/सीपेट की योजना/09/2018
प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तकo)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हo/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......................../पटना, दिनांक–................
संoसंo– 4तकo/सीपेट की योजना/09/2018
प्रतिलिपिः– निदेशक एवं प्रमुख, सीपेट, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हo/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–...1769.../पटना, दिनांक–...23.10.18
संoसंo– 4तकo/सीपेट की योजना/09/2018
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में/आईoटीo प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

5